



## प्रेस विज्ञप्ति

**13.03.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय के लगातार और ठोस प्रयासों के माध्यम से, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खुर्दा में जिला और सत्र न्यायालय परिसर ने अपराध की आय के 332.76 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्य रु. 450 करोड़ (लगभग) विभिन्न बैंक खातों में एफडी के रूप में रखे गए) जारी किए हैं, जो ईडी द्वारा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों सहित पूर्वी क्षेत्र में अपने प्रबंध निदेशक गौतम कुंडू के माध्यम से संचालित रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज के सबसे बड़े बहु-राज्य चिट फंड घोटाले में जब्त किए गए थे। वैध दावेदारों/निवेशकों को इसकी प्रतिपूर्ति के लिए। सीबीआई-1 के विशेष न्यायाधीश सह पीएमएलए के तहत विशेष न्यायाधीश, खुर्दा, भुवनेश्वर के माननीय अदालत ने अपने आदेश दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से एडीसी, रोज वैली द्वारा ईडी, भुवनेश्वर के कब्जे में चल संपत्ति को एडीसी, रोज वैली समूह के पक्ष में जारी करने के लिए दायर आवेदन को अनुमति दे दी है ताकि पूरे देश में वैध निवेशकों को इसकी प्रतिपूर्ति की जा सके।

यह ओडिशा राज्य में ईडी, भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय द्वारा की गई पहली सबसे बड़ी कार्रवाई है, जो रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज के वैध निवेशकों/दावेदारों को उनके कब्जे में मौजूद लगभग 450 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) की वर्तमान कीमत वाली चल संपत्तियों की वापसी में फलीभूत होगी। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा पारित ऐतिहासिक आदेश से एसेट डिस्पोजल कमेटी के माध्यम से पूरे देश में निवेशकों के पैसे की वापसी का मार्ग प्रशस्त होगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर, रोज वैली ग्रुप पॉजी घोटाले के वैध निवेशकों को संपत्तियों की वापसी के लिए न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ (सेवानिवृत्त), कलकत्ता उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में और ईडी और अन्य सदस्यों के साथ एक संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) का गठन किया गया था। ईडी, कोलकाता ने रोज वैली समूह की संपत्तियों की कुर्की, कब्जे और वितरण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम आदि राज्यों के हजारों पीड़ितों को संपत्तियों की वापसी को सुचारू और त्वरित किया जा सके। अब तक, रोज वैली समूह के लगभग 31 लाख निवेशकों ने [www.rosevalleyadc.com](http://www.rosevalleyadc.com) वेबसाइट पर अपना दावा पंजीकृत किया है। ईडी तुरंत एडीसी को सर्वेक्षण करने और पुष्टि की गई जब्त संपत्तियों का मूल्यांकन करने और रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज के निवेशकों/पीड़ितों को समय पर वितरण के लिए संपत्तियों के शीघ्र मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है।

इसके अलावा, आने वाले महीनों में पुनर्भुगतान प्रक्रिया पूरी गति से जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि एडीसी द्वारा अधिक दावों की जांच और सत्यापन किया जा रहा है। एडीसी ने 32,319 दावों को संसाधित किया है, जिसके परिणामस्वरूप वैध निवेशकों को लगभग 22 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है।



रोज वैली ग्रुप के निवेशकों से अनुरोध है कि वे [www.rosevalleyadc.com](http://www.rosevalleyadc.com) पर लॉग इन करके और आवश्यकतानुसार विवरण और दस्तावेज अपलोड करके तुरंत ऐसा कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही अपने दावे अपलोड कर दिए हैं, उन्हें अपना दावा फिर से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।